Topic- [Directive Principles of State Policy]
राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत

Name of the Guest Teacher — Khushbu Kumari, dept. of Pol.science
N.S.J. College, Rajnagar, Lnmu

भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में 'राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत' का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के इस विशेषता को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये नीति-निर्देशक तत्व सरकार के लिये नीतियाँ कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने में नीति निर्धारण में पथ-प्रदर्शक का कार्य करते हैं।

नीति-निर्देशक सिद्धांत की विशेषताएं —

1. भाग IV का उद्देश्य — निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसा कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की विशेषता हो। अनुच्छेद 38 भाग IV के उद्देश्य को स्पष्ट करता है: राज्य एक ऐसा प्रभावशाली सामाजिक व्यवस्था की प्राप्ति और सुरक्षा करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं की विशेषता होगी तथा जिसे राज्य लोगों के कल्याण को विकसित करेगा।
वी. के. गोखले ने कहा है कि "इन का उद्देश्य है, एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना जिसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता होगी और लोग प्रसन्न तथा समृद्ध रहेंगे।"

2. निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों के द्वारा लागू नहीं किये जा सकते —

अनुच्छेद 37 के अनुसार, "इस भाग IV में दी व्यवस्थाओं को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकेगा परन्तु लिखे गये सिद्धांत फिर भी देश के

राज्य प्रबन्ध में मौलिक हैं और यह राज्य का कर्तव्य होगा कि कानून बना कर इन सिद्धांतों को लागू करे।" एल. एम. सिंघवी इन निर्देशों को संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्थाओं के रूप में व्याख्या करता है।

3. निर्देशक सिद्धांत संविधान के दिशा-सूचक के रूप में —

भाग IV संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का एक मूर्तरूप-पत्र है। यह संविधान की प्रस्तावना में दिये गए उद्देश्यों की व्याख्या करता है। यह सरकार के कार्य-व्यवहार के परिमाप का एक मापदण्ड है। निर्देशक सिद्धांतों का संविधान में न लागू होने वाले सिद्धांतों के रूप में लिखा जाना पूर्ण रूप से उचित है क्योंकि उनका उद्देश्य विकासशील भारतीय व्यवस्था को एक उचित दिशा देना है।

4. इन नीति निर्देशक सिद्धांतों में समय-समय पर वृद्धि होती रही है। जैसे —
(i) बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिये अवसरों का संरक्षण (धारा 39)
(ii) गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना (धारा 39 क)
(iii) उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता (धारा 43 क)
(iv) पर्यावरण संरक्षण तथा वनों व अन्य जीवों की रक्षा (धारा 48 क)
(v) आय, स्तर, अवसरों में असमानताओं को कम करना (44वें संशोधन द्वारा धारा 38 में जोड़ना)
(vi) 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को उपलब्ध कराना।

भाग IV का दोष

संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक सिद्धान्त का वर्णन है परन्तु इन सिद्धान्तों को न तो वर्गीकृत किया गया है और न ही योजना-बद्ध क्रम दिया गया है व्यवहार में इनका अध्ययन करने के लिये विद्वानों ने इनको चार श्रेणियों में विभाजित किया है: (1) समाजवादी (2) गांधीवादी (3) उदारवादी (4) सामान्य सिद्धान्त।

(I) समाजवादी सिद्धांत (Socialistic Principles)

इस श्रेणी के निदेशक सिद्धांत आते हैं जिनका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी समाजवादी राज्य स्थापित करना है।
Art. 38, 39, 39(क), 41, 42, 43 क, 43, 47

(1) राज्य लोगों के कल्याण की प्राप्ति के लिये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा, जिसकी विशेषता सामाजिक - आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगी (38(1))

(2) राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुये लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधायें और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। (Art. 38(2))

(3) अनुच्छेद 39 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं—
(i) पुरुष और स्त्री, सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है; 39(क)
(ii) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो; 39(ख)

Scanned with CamScanner

(iii) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी संकेन्द्रण न हो;

(iv) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों;

(v) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

(4) राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिये कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या अन्य ही नीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। (39 क)

(5) राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता और अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। (Art. 41)

(6) राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को

सुनिश्चित करने के लिये और प्रभावी सहायता के लिये उपबंध करेगा। (अनुच्छेद 42)

(7) राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों का काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ावे का प्रयास करेगा (Art. 43)।

(8) राज्य किसी उद्योग में लगे हुये उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठायेगा (Art. 43क)

(9) राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया मादक पेयों और ~~स्वास्थ्य~~ स्वास्थ्य के लिये हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा (Art. 47)

II गांधीवादी सिद्धांत — (Art. 40, 43, 46, 47, 48)

(1) राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिये कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हो। (Art. 40)

Scanned with CamScanner

(2) कर्मकारों के लिये निर्वाह मजदूरी आदि। (Art. 43)
(3) राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा (Art. 46)
(4) पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। (Art. 47)
(5) राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिये और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिये कदम उठायेगा (Art. 48)

III उदारवादी सिद्धांत Art. 44, 45, 48, 48(क), 49, 50, 51

(1) राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। (Art. 44)

(2) राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबंध करने का प्रयास करेगा (Art. 45)

(3) कृषि और पशुपालन का संगठन (48)
(4) संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किये कलात्मक ऐतिहासिक

* पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा (48 (क))

अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थिति, विरूपण, विनाश, या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। (Art. 49)

(5) राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिये राज्य कदम उठायेगा (Art. 50)

(6) अनुच्छेद 51 के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें हैं —

(क) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
(ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाये रखना
(ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना
(घ) अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम् द्वारा निपटारे के लिये प्रोत्साहन देने का प्रयास करना।